



भारत में जाति की राजनीति का महत्त्व

डॉ पप्पू राम कोली, व्याख्याता राजनीति विज्ञान ,
राजकीय स्नातकोत्तर महा विद्यालय , प्रतापगढ़ (राजस्थान) !

सार

जाति एक व्यापक पदानुक्रम संस्थागत व्यवस्था को संदर्भित करती है जिसके साथ बुनियादी सामाजिक कारक जैसे हैं जन्म, ववाह, भोजन-बंटवारा आदि को पद और स्थिति के पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ये उपखंड पारंपरिक रूप से व्यवसायों से जुड़े हैं और अन्य के संबंध में सामाजिक संबंध तय करते हैं उच्च और निम्न जातियाँ। जातियों का पारंपरिक श्रेणीबद्ध क्रम भेद पर आधारित था 'प व्रता' और 'प्रदूषण' के बीच। जब क आदेश का स्वरूप काफी हद तक बदल चुका है हाल के दिनों में, सस्टम ही ज्यादा नहीं बदला है। जाति शब्द की उत्पत्ति स्पेनिश भाषा से हुई है जाति शब्द का अर्थ जाति है। जाति विशेष में पैदा हुए लोगों की अपनी अलग जाति होती है। यह परिभाषित करता है व्यक्ति के लए सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध। जाति प्रकृति को निर्धारित करती है, संगठन और राजनीतिक दलों, हित समूहों और सभी राजनीतिक संरचनाओं और उनके काम कर रहा है कार्य करता है। इस पत्र का उद्देश्य भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका और यह कैसे बनती है, इसका विश्लेषण करना है संसदीय लोकतंत्र की सच्ची कार्यप्रणाली और राष्ट्रीय एकता के मार्ग में एक बाधा है। जाति एक सामाजिक स्तरीकरण प्रणाली है जो भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता है जिसने प्रभावित किया है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में समाज की संरचना। जातिगत मूल्य और जातिगत हित व्यक्तियों की राजनीतिक सोच, जागरूकता और भागीदारी को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक की इस प्रक्रिया के कारण जाति का समाजीकरण, जाति चेतना लोगों में जगाती है।

मूल शब्द: राजनीति, जाति, जातिवाद सर्वोपरि

प्रस्तावना

भारत में , एक जाति एक (आमतौर पर अंतर्ववाही) सामाजिक समूह है जहां सदस्यता जन्म से तय होती है। जातियों की अक्सर संबंधित राजनीतिक प्राथमिकताएँ होती हैं। मोटे तौर पर, भारतीय जातियों को अगड़ी जातियों , अन्य पछड़े वर्गों , अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में विभाजित किया गया है , हालांकि भारतीय ईसाई और भारतीय मुसलमान भी जातियों के रूप में कार्य कर सकते हैं। भारत में आरक्षण प्रणाली अनिवार्य रूप से व्यवस्थित रूप से वंचित जाति समूहों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई के रूप में कार्य करती है।

भारतीय राजनीति में जातिवाद

स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय राजनीति का आधुनिक स्वरूप विकसित हुआ। अतः यह संभावना व्यक्त की जाने लगी कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होने पर भारत से जातिवाद समाप्त हो जायेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ बल्कि जातिवाद ने न केवल समाज में बल्कि राजनीति में भी प्रवेश करके उग्र रूप धारण कर लिया है। भारत में जातिवाद ने न केवल यहाँ की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक प्रवृत्तियों को ही प्रभावित किया है, बल्कि राजनीति को भी पूर्ण रूप से प्रभावित किया है। भारत की राजनीति में जाति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केन्द्र ही नहीं राज्यस्तरीय राजनीति भी जातिवाद से प्रभावित है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसके कारण राष्ट्रीय एकता एवं विकास मार्ग अवरुद्ध हो रहा है।

राजनीति में जातिवाद सर्वोपरि

भारतीय राजनीति के प्रमुख मुद्दों में जातिवाद सर्वोपरि है, जातिवाद कभी न कभी प्रकार हमारी राजनीति को प्रभावित करती है, संवधान निर्माण के समय से ही इनमें कुछ सुधार किये जा रहे हैं, कभी कहीं राजनेताओं के द्वारा तो कभी सुधार प्रस्ताव के द्वारा जातिवाद नामक मानसिकता को सुधारने का प्रयास किया जाता रहा है। इसका गवाह इतिहास स्वयं है, आज राजनीति में या मनुष्य के जीवन को यदि सबसे ज्यादा प्रभावित कुछ करता है, तो वह है " जातिवाद " इसकी जड़े प्राचीनकाल से ही इस कदर भारतीय राजनीति में जमी हुई हैं कि इसे निकाल फेंकने का प्रयास भर मानव मात्र कर पाया है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी भारतीय राजनीति में अपनी जड़ों को जमाये हुए हैं, जो वर्तमान राजनीति में एक भयंकर बीमारी प्रतीत होता है। हमारे समाज में एक बड़ी ही व्यापक और मुख्य भूमिका अति पछड़ों तथा दलितों की है, दलितों का हमारे जीवन में प्राचीन काल से ही विशेष भूमिकाएँ रही हैं, ये समाज के ऐसे वर्ग हैं, जो अपना एक अलग महत्व रखते हैं, अब प्रश्न ये है कि ये दलित आये कहाँ से

इसकी जड़ में जातिवाद है। भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में जातिप्रथा कसी न कसी रूप में व्याप्त है, जो एक गंभीर सामाजिक कुरीति है।

वर्ण व्यवस्था

वैदिक काल में वर्ग - वभाजन किया जाता था , जिसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता था। यह जातिगत न होकर गुण एवं कर्म पर आधारित था। समाज चार वर्गों में वभाजित था। ब्राह्मण धार्मिक तथा वेदों से जुड़े कार्य करते थे। क्षत्रिय को देश की रक्षा तथा प्रशासन से जुड़े कार्य का दायित्व था। वैश्य कृष और व्यापार से जुड़े कार्य करते थे, तथा शूद्र को इन तीनों वर्गों की चाकरी करनी पड़ती थी। वर्ण व्यवस्था और जाति - व्यवस्था में सबसे बड़ा अंतर यह है कि वर्ण का निर्धारण व्यवसाय से होता था, जबकि जाति का निश्चय जन्म से होता था। इस प्रकार जाति प्रथा भ्रष्ट सद्ध होती गई। प्रो. रुडोल्फ के अनुसार भारत राजनीतिक लोकतंत्र के संदर्भ में जाति वह धुरी है, जिसके माध्यम से नवीन मूल्यों और तरीकों की खोज की जा रही है। यथार्थ में यह एक ऐसा माध्यम बन गयी है कि इसके जरिए भारतीय को लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है। प्रो. रजनी कोठारी अपनी पुस्तक "कास्ट इन इण्डियन पॉलिटिक्स" में भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का वस्तुतः विश्लेषण किया है। उनका मत है कि बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या भारत में जातिप्रथा खत्म हो रही है? इस प्रश्न के पीछे यह धारणा है कि मानो जाति और राजनीति परस्पर वरोधी संस्थाएँ हैं।

जाति और राजनीति में आपसी संबंध

भारत में जाति और राजनीति में आपसी संबंध को समझने के लिए चार प्रमुख बिन्दुओं को समझना आवश्यक है:

भारत में सामाजिक व्यवस्था का संगठन ही जाति के आधार पर हुआ है। राजनीति केवल सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति मात्र है, इस लिए सामाजिक व्यवस्था राजनीति का स्वरूप निर्धारित करती है।

लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक प्रक्रिया जातीय संरचनाओं को इस प्रकार प्रयोग में लाती है, ताकि उनका सहयोग और समर्थन के द्वारा अपनी राजनीतिक स्थिति को और भी अधिक मजबूत बना सके।

भारतीय राजनीति सदैव ' जाति ' के इर्द - गर्द घूमती है, यदि कसी व्यक्ति विशेष को राजनीति में सफलता चाहिए तो वह कसी संगठित जाति का सहारा लेता है।

वर्तमान में जाति विशेष का संगठन ही ज्यादातर राजनीति में भाग ले रही है। अतः स्पष्ट है कि वर्तमान में जाति का विशेष महत्व राजनीति में है। समाज के व भन्न वर्गों तथा जातियों का समर्थन पाने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के नेता उन सब संस्थानों के खिलाफ थे।

भारतीय राजनीति में जातिवाद जिनकी प्रवृत्ति भारतीय जनता को वभाजित करने की थी। लोगों द्वारा वशाल जनसभाओं और सत्याग्रह संघर्षों में सामूहिक रूप से भाग लेने से जाति चेतना बिल्कुल कमजोर गयी थी, जो लोग एकजुट होकर स्वतंत्रता और समानता के नाम पर अंग्रेजी शासन से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वे जाति व्यवस्था का समर्थन कैसे कर सकते थे। इस प्रकार आरंभ से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और वस्तुतः संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन जातिगत विशेषाधिकारों का वरोधी रहा। कांग्रेस ने जाति, लंग और धर्म के भेदभाव के बिना मानव जाति के विकास के लिए समान नागरिक अधिकारों तथा समान स्वतंत्रता के लिए हमेशा संघर्ष किया।

बाबा साहब का योगदान

द लतों के मसीहा कहे जाने वाले बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर जो स्वयं एक द लत थे, उन्होंने अपना सारा जीवन जातिगत जुल्म के खिलाफ लड़ने में लगा दिया। उन्होंने अखिल भारतीय द लत वर्ग संघ (**All Indian Depressed Classess Federation**) की स्थापना इसी उद्देश्य से की ताकि द लतों में जागृति की भावना को विकास हो अनुसूचित जनजातियों के कई अन्य नेताओं ने अखिल भारतीय द लत वर्ग परिषद् (स मति) की स्थापना की दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मणों ने बीसवीं सदी के तीसरे दशक के दौरान ब्राह्मणों द्वारा अपने ऊपर लादी गई निर्योग्यताओं के खिलाफ संघर्ष करने के लिए "आत्मसम्मान" आंदोलन चलाया। सारे भारत में मंदिर प्रवेश पर रोक तथा इसी तरह के अन्य प्रतिबंधों के वरोध में द लत जातियों ने अनेक सत्याग्रह आंदोलन चलाये। डॉ. बी आर अम्बेडकर अपनी मृत्यु के बाद द लतों के लिए एक आदर्श के रूप में उभरे हैं द लतों को इससे काफी लाभ मला है। वे इनके लिए एक उदाहरण और प्रेरणा दोनों ही रहे हैं। वे उच्च कोटी के बुद्धजीवी थे, जिन्होंने उच्च जातियों द्वारा बनाये गये धरे को तोड़ा तथा उनकी मृत्यु के कई दशकों के बाद भी आम्बेडकरवादी उनके सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं। अम्बेडकर के व्यक्तित्व ने पूरे देश में द लतों को एक सूत्र में बाँध रखा है।

भारत में सामाजिक सुधार

परंपरागत भारतीय समाज में जाति - व्यवस्था की संपूर्ण संरचना इस प्रकार थी जिसमें ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च थी, लेकिन आज सामाजिक व्यवस्था की रूप - रेखा राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा निर्धारित होती हैं। आधुनिक मूल्यों के उदय के साथ ही धार्मिक विश्वास स्वयं ही लोक जीवन

से दूर हट रहे हैं। व्यक्तियों को संवधान द्वारा समानता का अधिकार दिया गया है। अतः व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण आज जातिगत स्थितियों से न होकर उसकी योग्यता और कुशलता के आधार पर हो रहा है। जाति व्यवस्था की संरचना स्तरण में जिन व्यक्तियों को अस्पृश्य दलत अथवा अंत्यज मानकर समस्य अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। उनकी स्थिति में आज काफी परिवर्तन हुआ है।

महात्मा गांधी और अंबेडकर के प्रयत्नों से इन व्यक्तियों को समान अधिकार ही नहीं दिये गये, बल्कि सभी सरकारी नौकरियों व राजनीतिक संस्थाओं में उनके लिए स्थान भी आरक्षित कर दिये गए हैं, जिससे उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार हो सके। समकालीन भारत में अन्तर्जातीय ववाहों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। वधवा ववाह को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है, कानूनों द्वारा ऐसे ववाहों को मान्यता दे दी गई है।

पारंपरिक जाति - व्यवस्था में प्रत्येक जाति अपने से निम्न जाति के लोगों से छुआ छूत का भेदभाव रखते थे तथा उनके द्वारा स्पर्श किये गए भोजन को ग्रहण नहीं करती थी। जब कि वर्तमान में जातिगत भेद भाव का यह आधार लगभग समाप्त ही हो गया है। आजकल शहरों में सैकड़ों व्यक्ति एक साथ फैक्ट्रियों और अन्य कार्य स्थलों में काम करते हैं और अवकाश के समय सब साथ बैठकर भोजन करते हैं। होटल, जलपानगृहों तथा ववाह या अनेकों उत्सव में भी सभी जातियों के व्यक्ति उस भोजन को ग्रहण करते हैं जिसे कभी अज्ञात जाति के व्यक्ति द्वारा बनाये गए हों जिनका स्पर्श करना भी जाति व्यवस्था द्वारा कभी वर्जित था।

जाति व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का यह कहना था कि वह अपनी जाति के सदस्यों से ही अधिकतम संपर्क बढ़ाए उच्च जातियों की श्रेष्ठता में विश्वास रखे और निम्न जातियों से दूरी बनाए रखे। आज बहुत से उच्च जातियाँ अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए उन सभी व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करती हैं।

जाति व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक जाति का व्यवसाय जन्मजात से ही निश्चित होता था। वर्तमान समय में काम के आधार पर जाति का आधार लगभग समाप्त हो चुका है। शहरों में सभी जातियों के व्यक्ति अपने - अपने अलग व्यवसाय में लगे होते हैं, अब व्यवसायिक जीवन की गतिशीलता ने सभी जातियों को समान जीवकोपार्जन का अवसर प्रदान किया है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह महोदय ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के निर्णय में लिखा है: भारतीय संवधान ने जाति व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है और इसने वध के समक्ष लोगों में समता का आश्वासन दिया है। संवधान के अनुच्छेद 15 (2) और 16 (2) के अधीन जाति

के प्रति निर्देश केवल इसे समाप्त करने के लिए ही है। इसी निर्णय में आगे लिखा गया है कि अब जाति व्यवस्था, जिसे संवधान के रचयिताओं ने समाप्त कर दिया है, वह भन्न रूपों में अपना धृणत सर उठाने का प्रयत्न कर ही है।

जाति और चुनाव समीकरण

भारत में 1952 में पहली बार जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब उस समय की राजनीति में दलों की कोई खास भागीदारी नहीं थी। राजनीति में दल और आदिवासीयों की वोट की ताकत का महत्व का एहसास नहीं था भारत में चुनाव अभियान में जातिवाद को साधन के रूप में अपनाया जाता है और प्रत्याशी जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा होता है, उस क्षेत्र में जातिवाद की भावना को प्रायः उकसाया जाता है, ताकि संबंधित प्रत्याशी की जाति के मतदाओं का पूर्ण समर्थन प्राप्त किया जा सके।

सभी राजनीतिक दलों द्वारा यह माना जाता है, कि राज्यस्तरीय मंत्रिमण्डलों में प्रत्येक प्रमुख जाति का मंत्री अवश्य होना चाहिए। केवल प्रांतीय स्तर पर ही नहीं बल्कि ग्राम पंचायती स्तर भी यह भावना काम करती है। मेयर के अनुसार जातीय संगठन राजनीतिक महत्व के दबाव समूह के रूप में प्रवृत्त हैं।

कोई भी राज्य ऐसा नहीं है, जहाँ पर राजनीति जातिवाद से प्रभावित नहीं हो रही केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र आदि सभी राज्यों की राजनीति पर जातिवाद स्पष्ट रूप से हावी है। जाति के आधार पर भेदभाव भारत में स्वतंत्रता से पहले भी वर्द्धमान था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद प्रजातंत्र की स्थापना होने से समझा गया कि जातिगत भेद समाप्त हो जायेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजनीतिक संस्थाएँ भी जातिगत से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। फलस्वरूप जाति का भारत में राजनीतिकरण हो गया।

जातिवाद देश के विकास में बाधक

जाति का राजनीतिकरण भारत के आधुनिकीकरण के मार्ग में बहुत बड़ा बाधक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि जाति को राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव एवं समरसता का निर्माण करने हेतु आधार नहीं बनाया जा सकता। जैसे तो संवधान द्वारा अस्पृश्यता को लेकर अनेकों कानून बनाए गए, परन्तु जाति - वहीन समाज की स्थापना संवधान की अंतर्गता नहीं बन पाई। अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई परन्तु जाति व्यवस्था स्वयं बनी रही।

अनुच्छेद 17 का अंबेडकर द्वारा किया गया प्रारूप यह था कि रैंक, जन्म, व्यक्ति, परिवार, धर्म या धार्मिक रूढ़ि और रीति - रिवाज से उत्पन्न किसी विशेषाधिकार या नियोग्यता को समाप्त किया जाता

हैं, परंतु इसे न तो प्रारूप समिति ने स्वीकार किया और न ही संवधान सभा ने स्वीकार किया। बिना चर्तुवर्ण या जाति का नाम लिए अंबेडकर ने इन पर आधारित विशेषाधिकारों या निर्योग्यताओं को समाप्त करने का प्रयास किया था, यदि उसे स्वीकार किया गया होता तो वह सामाजिक समता तथा सामाजिक न्याय की अवधारणा के ज्यादा करीब होता।

वर्तमान संवधान का अनुच्छेद -17 डॉ. के एम मुंशी के प्रारूप पर आधारित है। इसके पूर्व 1930 के दशक में मंदिर प्रवेश के लिए हरिजनों को प्रदान की जाने वाली व्यवस्था पर प्रति क्रिया व्यक्त करते हुए अंबेडकर ने स्पष्ट किया था, कि यदि हिन्दू धर्म उनका धर्म होना है, तो उसे सामाजिक एकता का धर्म होना होगा। मात्र हिन्दू संहिता का संशोधन कर मंदिरों में प्रवेश दिलाना पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता है कि जाति व्यवस्था तथा अस्पृश्यता के जनक चर्तुवर्ण के सिद्धांत को समाप्त किया जाय।

डॉ आर सी मजुमदार ने अपनी पुस्तक "स्ट्रगल फॉर फ्रीडम" में स्पष्ट लिखा है कि इसका मात्र संतोषजनक उत्तर यह हो सकता था कि तीन हजार वर्षों से चली आ रही पुरानी जातिवादी व्यवस्था एक दिन में समाप्त नहीं सकती और इसके लिए धीरे-धीरे प्रयास जारी रखना होगा। परंतु महात्मा गांधी सहित किसी हिन्दू नेता ने यह स्पष्ट रूप से जाति व्यवस्था के वरुद्ध वचन व्यक्त नहीं किया।

प्रत्येक राज्य में दलित अल्पसंख्यक हैं, जो व भन्न जातियों के साथ मशरत जनसंख्या वाले समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि चुनाव के समय वे उन निर्वाचन क्षेत्रों में भी निर्णायक प्रभाव डाल सकते हैं, संघ के सभी राज्यों में और हर राज्य के प्रत्येक जिले में 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के बीच उनका वोट है। इस लिए राजनीतिक दलों को अधिकांश लोकसभा और संवधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दलित हितों का ध्यान रखना पड़ता है। दलित मतदाता लगभग सभी निर्वाचन क्षेत्रों के निर्णय में असरदार भूमिका निभाते हैं।

पूरे देश में दलितों को तकरीबन एक ही तरह के दमन का सामना करना पड़ा है तथा उनके साथ भेदभाव किया जाता रहा है। इस प्रकार के समान अनुभव के कारण राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर दलितों की एकजुट होने में मदद मिली है। पूरे देश में दलितों के साथ एक ही तरह का व्यवहार किया जाता है। इसका कारण यह है कि जाति व्यवस्था पूरे भारत में एक ही तरह से कार्य करती है। तमिलनाडु के गांवों की तरह उत्तर प्रदेश के गांवों में भी दलितों को सबसे निम्न कोटि का कार्य दिया जाता है, उन्हें उच्च जाति की बस्तियों से दूर बसने पर मजबूर किया जाता है। उन्हें दूषित जन स्रोतों से ही पानी लेने की अनुमति दी जाती है, और मंदिर में प्रवेश पर रोका जाता है। इस लिए वे गांवों जिलों और राज्यों के बीच क्षेत्रीय एकजुटता और जुड़ाव का विकास कर सकते हैं जातिप्रथा के कारण समाज टुकड़ों में बंट गया,

व्यक्ति व्यक्ति के बीच भेदभाव बढ़ता गया, अहंकार और द्वेष के फलस्वरूप भारतवासी कभी एक नहीं हो सके, फलस्वरूप भारतवा सयों को हमेशा वदेशी आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा।

अति पछड़े और दलत एक छोटी संख्या वाली जातियाँ हैं और इनका ठिकाना गाँव शहर में जहाँ - तहाँ फैला हुआ है, और इनकी इस अवस्था के कारण लोकतांत्रिक राजनीति में या चुनावों में इनका कोई खास योगदान नहीं रहता। ये ज्यादा समय अपनी जीवकोपार्जन की समस्याओं को सुलझाने में लगे होने के कारण ज्यादा समय राजनीतिक चुनावों को नहीं दे पाते। शिक्षा के अभाव के कारण भी इनमें कोई बड़ा राजनीतिक नेतृत्व बक सत नहीं हो पाता।

वर्तमान में धीरे-धीरे सरकारी योजनाओं के लाभ लेते हुए अब इनमें चेतना जागृत हो रही है, इनका रूझान अब शिक्षा व विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, जिससे राजनीति में भी इनकी भागीदारी बढ़ रही है। ये धीरे-धीरे संगठित होकर एक बड़े वोट बैंक में तब्दील हो रही है। समय के साथ-साथ अब पछड़ी जातियों को वधानसभा चुनाव में टिकट भी दिये जा रहे हैं।

निष्कर्ष

भारतीय समाज जातिगत भेद-भाव जैसे भयानक बीमारियों से जकड़ा हुआ है, इसका गंभीर बीमारी का निदान खोज पाना कठिन मालूम पड़ता है। यह केवल व्यक्ति व्यक्ति के बीच खाई पैदा नहीं कर रही बल्कि राष्ट्रीय एकता के मार्ग में भी बाधा पहुंचाने का कार्य कर रही है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री एम एन श्रीनिवास का मत है कि "परंपरावादी जाति व्यवस्था" ने प्रगतिशील और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को इस तरह प्रभावित किया है, कि ये राजनीतिक संस्थाएँ अपने मूलरूप में कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। अतः देश में फैला हुआ जातिवाद समाज और राजनीति के लिए बाधक बंध प्रतीत होती है। यह दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय राजनीति में जाति व्यवस्था इस प्रकार की स्थितियों का निर्धारण करती रही है जिससे गरीब हमेशा दलत अशक्त सामंतवादी उपनिवेश बने रहे। जात-पात बहुल हमारे इस समाज से यह अपेक्षा भी कैसे की जा सकती है कि समाज में व्याप्त यह भयंकर बीमारी अचानक से चमत्कारिक ढंग से ठीक हो जाय इस सच्चाई को कोई कतना भी नकारे लेकिन आज भी भारतीय जनतंत्र की राजनीति के केन्द्र में नागरिक न होकर जाति ही है।

सन्दर्भ सूची

1. दत्ता, ए.आर. (संस्करण 2013)। भारत में राजनीति: मुद्दे, संस्थाएं, प्रक्रियाएं। अरुण प्रकाशन, पानबाजार, गुवाहाटी-1
2. एट्ज़ियोनी, ए., (1965) "पॉ लटिकल यूनि फ़केशन: ए कम्पेरेटिव स्टडी ऑफ़ लीडर्स एंड फोर्सेस", न्यूयॉर्क: होल्ट, राइनहार्ट और वंस्टन, इंक।
3. कोठारी, रजनी।, (1989) "राजनीति और लोग; एक मानवीय भारत की तलाश में", Vol.1, अजंता, नई दिल्ली।
4. कोठारी, रजनी, (1970) "पॉ लटिक्स इन इंडिया", बोस्टन, लटिल ब्राउन
5. जौहरी, जे.सी., (1973) "कास्ट पॉ लटिकाइजेशन इन इंडिया" इंडियन पॉ लटिकल साइंस रिव्यू, 7 (2)
6. कोठारी, रजनी, (1970) "कास्ट इन इंडियन पॉ लटिक्स" ओरिएंट लॉन्गमैन, नई दिल्ली।
7. जोन्स, डब्ल्यू.एच., (1967) "द गवर्नमेंट एंड पॉ लटिक्स ऑफ़ इंडिया", ह चंसन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, न्यूयॉर्क।
8. रूडोल्फ, एल.आई., और रूडोल्फ, एस.एच. (1967)। परंपरा की आधुनिकता: भारत में राजनीतिक विकास। शकागो: शकागो विश्व विद्यालय प्रेस।
9. जौहरी, जे.सी. (2000) "भारतीय राजनीतिक प्रणाली", अनमोल प्रकाशन, तीसरा संशोधित संस्करण, नई दिल्ली
10. हसन, ज़ोया, (संपा.2002) "पार्टीज़ एंड पार्टी पॉ लटिक्स इन इंडिया", ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली
11. ब्रास, आर. पॉल, (1994) "द पॉ लटिक्स ऑफ़ इंडिया संस इंडिपेंडेंस", कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस
12. कोठारी, रजनी।, (1961) "फॉर्म एंड सबस्टेंस इन इंडियन पॉ लटिक्स", द इकोनॉमिक वीकली, जून, 3।